संशोधित पर्सपैक्टिव कार्ययोजना एवं बजट

वर्ष 2000– 2005

जनपद – पिथौरागढ़

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी. III)
पिथौरागढ़ (उत्तरॉचल)

अनुक्रमणिका

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य परिचय	01-05
2.	परियोजना की अद्यतन प्रगति	06-15
3.	संशोधित कार्ययोजना एवं बजट	16-34
4.	बजट तालिका	35-41

अध्याय– 1
सामान्य परिचय

जिला प्राथामिक शिक्षा कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में एक अनूठा प्रयास तथा अपने ढंग का एक नवाचारी कार्यकम है। यह कार्यकम विविध किया–कलापोंका समिश्रण है। साथ ही स्थानीय स्तर की आवश्यकता एवं जनसहभागिता को आधार मानकर इस कार्यकम की तैयार किया गया है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम यद्यपि एक नवाचारी तथा बहुआयामी कार्यकम है। लेकिन यह अन्तिम नहीं है, बल्कि इसके कियान्वयन के अनुभवों के आधार पर इसमें आवश्यक परिवर्तन/ संशोधन संभव हैं। डी.पी.ई.पी. के निम्नलिखित मुख्य कार्यक्षेत्र हैं, जो परस्पर सहःसम्बन्धित हैं–

1. राष्ट्रीय– राज्य– जनपद– ब्लाक– न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तर पर विभिन्न संस्थाओं को बढ़ावा देना और उन्हें स्थापित कराना। जिससे कि शोध कार्य, प्रशिक्षण तथा शिक्षण कार्य के अनुश्रवण/ निरीक्षण के लिए सुव्यवस्थित आधारभूत सुविधाओं का विकास हो सके।
2. ग्राम शिक्षा समिति तथा माता शिक्षक संघ जैसी संस्थाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए सामुदायिक सहयोग जुटाना साथ ही समुदाय में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाना; सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा समितियों, माता शिक्षक संघों के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना।
3. विद्यालयों में बच्चों के अधिक से अधिक नामांकन तथा उनका स्कूल में ठहराव सुनिश्चित करके पढ़ाई का स्तर सुधार कर तथा बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाकर स्कूलों की सार्थकता को सिद्ध करना।
4. जिन बच्चों तक प्राथमिक शिक्षा की औपचारिक सुविधाओं का लाभ नही पहुंच रहा है उन बच्चों तक वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा मुहय्या कराना।
5. ई.सी.सी.ई., प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मसलों को एक दूसरे का परिपूरक बनाना।
6. बालिकाओं, अनुसूचित जाति/ जनजाति को लक्ष्य कर योजना बनाना तथा इनका कियान्वयन करना।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम को प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित कार्यकम के रूप में स्वीकृत किया गया है। जनपद पिथौरागढ़ अप्रैल 2000 से जिला प्राथामिक शिक्षा कार्यकम III के अन्तर्गत चयन किया गया है।

डी.पी.ई.पी. के प्रमुख लक्ष्य–

1. बालक/ बालिका को विभिन्न सामाजिक वर्गो में स्कूलों में भर्ती/ स्वनिष्कासन तथा ज्ञान प्राप्ति के अन्तर को कम कर 5 प्रतिशत-लाना।

2. प्राइमरी स्तर के सभी विद्यार्थियों की स्वनिष्कासन दर को घटाकर 10 प्रतिशत से कम पर लाना।

3. शैक्षिक सम्प्राप्ति के स्तर को निर्धारित आधार रेखा से कम से कम 25 प्रतिशत तक ऊपर उठाना साथ ही आधारभूत साक्षरता व गणितीय क्षमता को प्राप्त करना। तथा अन्य क्षमताओं में कम से कम 40 प्रतिशत उपलब्धि का लक्ष्य सभी प्राइमरी विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित करना।

4. राष्ट्रीय मानदण्डों के अन्तर्गत सभी बच्चों की पहुँच प्राइमरी शिक्षा (कक्षा प्रथम से पाचवीं) तक सुनिश्चित करना।

5. जहां प्राइमरी शिक्षा संभव न हो वहां उनके समकक्ष वैकल्पिक शिक्षा मुहय्या कराना।

डी.पी.ई.पी. द्वारा राष्ट्रीय/ राज्य एवं जिला स्तर की संस्थाओं व संगठनों की कार्यक्षमता को भी मजबूती देना। जिसके द्वारा उन्हें योजना बनाने, प्रबन्धन तथा प्राइमरी शिक्षा के मूल्यांकन में सहायता मिलेगी।

पिथौरागढ़ जनपद में प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य–

भूमिका–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (संशोधित 1992) के उद्देश्य "प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण कर इसे सर्वजन सुलभ बनाया जाय"। यह कार्य जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया। डी.पी.ई.पी. में निम्न मुख्य बातों पर बल दिया गया है:

1) कार्य नीतियां विकसित करते हुए स्थानीय आवश्यताओं के अनुसार प्रासांगिक हो तथा कार्य योजना सूक्ष्म नियोजन के आधार पर नीचे से ऊपर की ओर तैयार की जाय, यथा ग्राम– स्तर, क्षेत्र– स्तर तथा जिला स्तर।

2) कार्य योजना को तैयार करते समय बालिका व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को ध्यान में रखकर इनको लाभान्वित करने हेतु कार्य नीतियों का समावेश किया जायेगा।

3) कार्य योजना प्रासांगिक व दीर्घ कालिकता को ध्यान में रखकर तैयार की जायेगी। तथा इसमें परिवर्तन/ परिवर्धन की व्यवस्था रहेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के लक्ष्य एवं उद्देश्य–

डी.पी.ई.पी. के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नवत हैं–

1) सार्वभौम पहुँच एवं सार्वभौम नामांकन।

2) सार्वभौम ठहराव, इसके लिए वर्तमान ह्रास के प्रतिशत को घटाकर केवल 0.5 प्रतिशत तक लाना।

3) शिक्षा की गुववत्ता में सुधार, नामांकन, धारण, ह्रास– अवरोध व अधिगम उपलब्धियों में बालिका, अनुसूचित जाति, जनजाति व अपवंचित वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बीच विद्यमान अन्तर को घटाकर 5 प्रतिशत तक लाना।

4) शिक्षा से जुड़े अभिकर्मियों में दक्षता/ क्षमता का विकास करना।

जनपद पिथौरागढ़ के परिपेक्ष्य में डी.पी.ई.पी. के लक्ष्य तथा उद्देश्य–

जिला प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को जनपद की प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पुनः वर्गीकृत किया गया है। इस हेतु निर्धारित लक्ष्यों में जनपद में सूक्ष्म नियोजन एवं मानचित्रण के पश्चात संशोधन आवश्कतानुसार किया जाता रहेगा। आकड़ों के विश्लेषण विभिन्न स्तरों पर आयोजित गोष्ठियों से प्राप्त सुझावों तथा वर्तमान शैक्षिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिले में डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत निम्नवत् लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे है।

पहुंच–

वर्ष 1999– 2000 तक जनपद की 344 वस्तियां शिक्षा सुविधा से वंचित थीं। जनपद का जी.ए.आर. 84 प्रतिशत था। डी.पी.ई.पी योजनान्तर्गत 38 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 128 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है। डी.पी.ई.पी. लागू होने से अब तक जी.ए.आर. 93.65 पहुंच गया है। अब मात्र 186 असेवित, छितरी– बिखरी आबादी के तोक, मजरे परिवार जहां की जनसंख्या अत्यन्त न्यून होने से 6:11 वय वर्ग के 2–3 बच्चे उपलब्ध हो पा रहे हैं, ऐसी बस्तियों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। एवं आवश्यता पड़ने पर छोटे– छोटे कैम्प आयोजित किये जायेगे।

नामांकन तथा ठहराव–

6– 11 वय वर्ग के सभी बच्चों तक स्कूली सुविधा उपलब्ध कराने के पश्चात यह अपेक्षा की जाती है कि बच्चों के विद्यालय के नामांकन में परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि होगी। परियोजना के अन्तर्गत यह लक्ष्य रखा गया है। सन् 2004 में छात्रों का शुद्ध नामांकन लगभग 64658 होगा, जिसमें अनुसूचित जाति के 17750 तथा जनजाति के 1611 छात्र– छात्राएं होंगी इस प्रकार 2004 तक प्रवेश दर 100 प्रतिशत होगी तथा सकल नामांकन (जी.ई.आर.) का प्रतिशत 105.9 हो जायेगा।

वर्षवार परियोजना अवधि हेतु नामांकन का आंगणित अनुमानित लक्ष्य

वर्ष	नामांकन			जी.ई.आर.
	बालक	बालिका	योग	प्रतिशत
2001– 02	33871	33088	66949	109.4
2002– 03	34389	33572	67961	707.91
2003– 04	34029	34349	68378	106.3
2004– 05	34292	34189	68481	105.91

यह अपेक्षा की जाती है पर्याप्त शैक्षिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के पश्चात ड्राप आउट दर कम होगी तथा धारण क्षमता बढ़ेगी तथा परियोजना अवधि में ठहराव की दर 90– 95 प्रतिशत तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। बालिकाओं अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के ठहराव का प्रतिशत भी उक्ताकिंत अनुपात में रहेगा।

गुणवत्ता सुधार–

परियोजना अवधि में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु विभिन्न कार्यनीतियों, कार्यक्रमों जिसमें भौतिक तथा शैक्षिक संसाधनों की वृद्धि के साथ– साथ विभिन्न स्तरों कार्यरत शिक्षा कर्मियों के लिए सघन प्रशिक्षण का प्राविधान किया गया है। वर्ष 2003– 04 में समस्त छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गयी, विद्यालय अनुदान हेतु रू. 02 हजार प्रति विद्यालय तथा शिक्षक अनुदान के रूप में रू. 500 प्रति अध्यापक उपलब्ध कराया गया। उक्त के अतिरिक्त डी.आर.जी.; बी.आर.जी.; वी.ई.सी. की बैठकों तथा प्रशिक्षणों का भी आयोजन किया गया। आगन बाड़ी कार्यकत्रियों, शिक्षा मित्रों अनुदेशकों, तथा आचार्य जी के प्रशिक्षण भी आयोजित किये गये। अतः यह समझा जाता है कि इस प्रभावी प्रशिक्षण कार्यकमों के कियान्वयन के फलस्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित वृद्धि होगी तथा प्रत्येक बच्चा प्राथमिक शिक्षा के न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त करेगा। भाषा तथा गणित में वर्तमान सम्प्राप्ति के स्तर में 25 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

दक्षता विकास–

गुणवत्ता संवर्धन के प्रयासों हेतु संस्थाओं की दक्षता का विकास एक आवश्यक शर्त है। इस कम में वर्ष 2002– 03 में डायट सहित बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के विविध प्रशिक्षणों के आयोजन किये गये। जैसे आधार भूत प्रशिक्षण, टी.ओ.टी. (साधन) प्रशिक्षण इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण द्वारा ग्राम शिक्षा योजना एवं सूक्ष्म नियोजन हेतु तत्परता प्रदान करने के प्रयास किये गये। वर्ष 2003– 04 में ममता प्रशिक्षण तथा वी.ई.सी./ एस.एम.सी. प्रशिक्षण द्वारा ग्राम शिक्षा समितियों तथा माताओं को जागरूक किया गया। इसी कम में समेकित शिक्षा हेतु विकास खण्डों का चयन किया गया। तथा ऐसे बच्चों

की पहचान की गयी। उक्त के अतिरिक्त जिला सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) का प्रशिक्षण तथा प्रपत्रों द्वारा जनपद की सूचनाओं का संकलन किया गया। डी.पी.ई.पी. अभिकर्मियों द्वारा समय– समय पर विद्यालय भ्रमण, अवलोकन, कोटिकरण तथा अनुसमर्थन आदि किया गया।

संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण–

डी.पी.ई.पी. परियोजना लागू होने से पूर्व जनपद स्तर पर प्रशिक्षण संस्था डायट के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण संस्थाओं का अभाव था। इस हेतु परियोजना में विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गयी। इन संसाधन केन्द्रों हेतु भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत होने के कारण जनपद में 36 संकुल संसाधन केन्द्र भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किये गये हैं, जिनका निर्माण कार्य सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया जा रहा है।

अध्याय– 2
परियोजना की अद्यतन प्रगति

ए. पहुंच–

ए1. अतिरिक्त कक्षा कक्ष–

जनपद में संचालित 1069 विद्यालयों में से 160 प्राथमिक विद्यालयों में स्थान कम होने के कारण प्रत्यक्ष– अप्रत्यक्ष रूप से छात्र नामांकन प्रभावित हो रहा है। इन विद्यालयों में से प्रत्यक्ष रूप से नामांकन प्रभावित होने वाले 59 विद्यालयों में डी.पी.ई.पी. में अतिरिक्त कक्षा– कक्षों का निर्माण किया गया है। शेष 101 विद्यालयों के अतिरिक्त कक्षा– कक्ष अन्य मदों (राज्य सरकार) द्वारा बनाया जाना प्रस्तावित है। सम्पूर्ण परियोजना अवधि में प्रस्तावित 59 अतिरिक्त कक्षा– कक्ष का निर्माण-कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

ए2. नवीन प्राथमिक विद्यालय निर्माण–

जनपद के असेवित बस्तियों में पहुंच उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के मानकानुसार परियोजना अवधि में कुल 38 नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी है।

ए3. नवीन प्राथमिक विद्यालय हेतु पैरा टीचर्स की व्यवस्था–

गत वर्ष तक स्थापित 38 नवीन प्राथमिक विद्यालय हेतु 76 पैराटीचरों एवं धारण सुनिश्ति करने हेतु 67 पैराटीचरों कुल 143 पैराटीचरों की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।

ए4. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र–

जनपद की जिन असेवित बस्तियों में राज्य सरकार के मानकानुसार नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना संभव नहीं थी इन छितरी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की पहुंच सुलभ कराने हेतु 114 ई.जी.एस. तथा 19 ए.एस. केन्द्रों की स्थापना के लक्ष्य के विपरीत 109 ई.जी.एस. तथा 18 ए.एस. केन्द्रों की स्थापना की गयी।

1. आचार्य जी/ अनुदेशक का मानदेय–

तृतीय वर्ष तक संचालित उक्त 109 ई.जी.एस. एवं 18 ए.एस. केन्द्रों हेतु आचार्य/ अनुदेशक का चयन पूर्ण कर केन्द्रों का संचालन आरम्भ कर दिया गया है। एवं सम्बन्धित का मानदेय ग्राम शिक्षा समिति के खाते में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों हेतु साज– सज्जा एवं पाठ्य पुस्तकें–

उक्तवत संचालित 109 ई.जी.एस. एवं 18 ए.एस. केन्द्रों में वर्षवार प्रति केन्द्र रू. 2350 की दर से धनराशि ग्राम की पंचायत की शिक्षा समिति के खाते में हस्तानान्तरित करने के उपरान्त निर्धारित साज– सज्जा ग्राम शिक्षा समिति द्वारा क्रय कर ली गयी है, एवं इन केन्द्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी गयी हैं।

3. अचार्य जी/ अनुदेशकों का प्रशिक्षण–

संचालित समस्त ई.जी.एस./ ए.एस. केन्द्रों के अनुदेशकों/ आचार्य जी का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है।

पहुंच की अद्यतन प्रगति को एक दृष्टि में निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है–

श्रेणी	कियाकलाप	परियोजना लक्ष्य	2000– 01 का लक्ष्य	01– 02 का लक्ष्य	02–03 का लक्ष्य	03– 04 का लक्ष्य	कुल उपलब्धि
ए1	अतिरिक्त कक्षा– कक्ष	59	20	–	39	–	59
ए2	नये प्राथमिक						
1	विद्यालय निर्माण	38	18	–	10	10	38
2	पैराटीचर्स	76	36	–	20	20	76
ए3	अतिरिक्त पैराटी.	–	67	–	–	–	67
ए4	वैक. शिक्षा केन्द्र	139	42	55	20	16	133

आर. ठहराव–

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय की सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। परियोजना के सफल संचालन हेतु समुदाय में जागरूकता एवं गतिशीलता विकसित करने हेतु रैलियों, बैठकों, कार्यशालाओं, मेलों का आयोजन यथा प्रस्तावित, सम्पन्न कराया गया। वर्ष 2003– 04 में भी नामांकन वृद्धि हेतु स्कूल चलों अभियान राज्य सरकारएवं डी.पी. ई.पी. के सम्मिलित प्रयास से चलाया गया, जिसकी उपलब्धि संतोषजनक रही है।

आर4. ध्वस्त भवनों का पुर्नर्निमाण–

जनपद हेतु परियोजना अवधि में प्रस्तावित 55 ध्वस्त भवनों में से 30 का पुर्नर्निमाण प्रथम वर्ष में तथा 25 भवनों का द्वितीय व तृतीय वर्ष में कर लिया गया है।

आर 5. शौचालय–

जनपद हेतु प्रस्तावित 600 शौचालयों में 300 शौचालयों का निर्माण कार्य प्रथम वर्ष में पूर्ण कर लिया गया है। शेष 300 शौचालयों का निर्माण कार्य द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में कराया गया।

आर6. पेयजल–

जनपद हेतु परियोजना अवधि में 250 विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जिनका निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

आर7. विद्यालय लघु मरम्मत–

जनपद में मरम्मत योग्य 60 विद्यालयों का मरम्मत कार्य प्रस्तावित किया गया था। जिनका निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

आर 8. बालिका शिक्षा–

जनपद के विभिन्न शैक्षणिक आंकड़ों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि बालकों की तुलना में बालिकाओं का नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्ता स्तर निम्न है। इस जेण्डर अन्तराल को कम करना डी.पी.ई.पी. का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए इससे सम्बन्धित अनेक कार्यक्रम डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत संचालित किये गये हैं।

1. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु प्रचार प्रसार–

डी.पी.ई.पी. परियोजना प्रारम्भ होने के पश्चात प्रत्येक वर्ष जनपद, ब्लाक, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत तथा विद्यालय स्तर पर पर स्कूल चलो अभियान, रैलियों, बैठकों तथा घर– घर सम्पर्क कर समुदाय को बालिका शिक्षा के महत्व को बताते हुए बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विभिन्न स्तरों में आयोजित बैठकों में लिंग– संवेदीकरण सम्बन्धी चर्चाएं भी की जाती हैं।

2. बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण–

डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक समस्त बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्पुस्तकें वितरित की जा रही हैं। जिससे बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्ता पर अनुकुल प्रभाव पड़ रहा है।

3. शौचालय पेयजल तथा अतिरिक्त कक्षा– कक्षों का निर्माण–

बालिकाओं के ठहराव को बढ़ाने के लिए विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। विशेष रूप से उन विद्यालयों में शौचालय, पेयजल तथा अतिरिक्त कक्षा– कक्षों का निर्माण किया जा रहा है जहां इनके अभाव में बालिकाओं का ठहराव प्रभावित हो रहा है।

4. नवीन विद्यालयों/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना–

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत ऐसी असेवित बस्तियां जहां की बालिकाएं विद्यालयी सुविधा न होने के कारण घर से दूर विद्यालय नही जा रही हैं वरियताकम में उन असेवित बस्तियों में नवीन विद्यालय/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

5. एम. सी. डी. ए.–

शैक्षिक रूप से पिछड़ी, न्यून महिला साक्षरता दर तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य न्याय पंचायतों की बालिका शिक्षा को आदर्श रूप में विकसित करने के उद्देश्य से जनपद की 15 न्याय पंचायतों को माडल कलस्टर के रूप में चयनित किया गया। इन माडल कलस्टरों में विकास खण्ड मुनस्यारी की 4, धारचूला की 2, गंगोली-हाट की 2, डीडीहाट की 2, बेरीनाग की 2, कनालीछीना की 1, मूनाकोट की 1 तथा विणकी 1 न्याय पंचायत को चयनित किया गया है। चयनित सभी माडल कलस्टरों में

बालिकाओं के विद्यालय में शत– प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता संम्बर्द्धन हेतु समन्वित रूप से अनेकानेक कार्यकम आयोजित किये गये जो निम्न प्रकार हैं।

5.1 माता शिक्षक एवं महिला प्रेरक संघों का गठन–

जनपद के चयनित 15 माडल कलस्टरों में प्रत्येक विद्यालय में माता शिक्षक संघ तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला प्रेरक संघों का गठन एवं प्रशिक्षण वर्ष 2000–01 से 2001– 02 में किया गया। इन दोनों संगठनों को एक ही संगठन के रूप में गठित कर ते हुए वर्ष 2002– 03 में इसका नाम ममता समूह (माता शिक्षक एवं प्रेरक समूह) देते हुए पुनः इनके कार्य एवं दायित्वों की जानकारी दिये जाने हेतु वर्ष 2003– 04 में ममता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रत्येक ममता समूह के सदस्यों की संख्या 20– 25 है। जनपद के 15 माडल कलस्टरों में 318 विद्यालयों में ममता समूहों का गठन किया गया है। माडल कलस्टरों में बच्चों के विद्यालय में नामांकन व ठहराव के लिए समुदाय में गतिशीलता उत्पन्न करने, नियमित उपस्थिति से सम्बन्धित कठिनाईयों को दूर करने, विद्यालय में जाति एवं जेण्डर आधारित भेद भाव दूर करने, विद्यालयी कार्यकमों के आयोजन में सहायता करने तथा समुदाय को विद्यालय के निकट लाने के लिए ममता समूहों को प्रशिक्षित कर विद्यालयों में नियमित मासिक बैठकों द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास किया गया।

5.2. मीना कैम्पेन/नुक्कड़ नाटक–

बालिकाओं का विद्यालय में शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के लिए समुदाय को प्रेरित करने, समुदाय को विद्यालय संचालन में भागीदार बनाने तथा दोनों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से माडल कलस्टरों की सभी ग्राम पंचायतों में मीना कम्पैन तथा भारत ज्ञान विज्ञान समिति के कला जत्थों द्वारा नुक्कड़ नाटकों, गीतों अभिनय व बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले प्रेरणास्पद प्रवचनों का आयोजन किया गया। कुल 47 मीना कम्पैनों तथा 150 नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया।

5.3. माँ–बेटी मेला–

माडल कलस्टरों में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता, लिंग संवेदीकरण तथा महिलाओं में नेतृत्व भाव विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक माडल कलस्टर में माँ बेटी मेले का आयोजन किया गया। इन मेलों के द्वारा जहां एक ओर माताओं को बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूक तथा संवेदनशील करने हेतु प्रयास किया गया। वहीं दूसरी ओर महिलाओं को संगठित कर उनमें नेतृत्व विकसित करने की क्षमता का विकास किया गया।

5.4. न्याय पंचायत स्तरीय वी.ई.सी. कार्यशाला–

जहां एक ओर जनपद की सभी ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण के दौरान बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से लिंग अभिमुखीकरण किया गया वहीं दूसरी ओर माडल कलस्टरों के सभी वी.ई.सी. सदस्यों में बालिकाओं के अर्थ पूर्ण नामांकन के लिए वातावरण सृजन करने के उद्देश्य से वी.ई.सी. के सदस्यों प्रमुखतः महिला सदस्यों को ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के कार्य एवं दायित्वों की जानकारी तथा न्याय पंचायत/ग्राम पंचायत में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने में सदस्यों की भूमिका निर्धारित करने के उद्देश्य से सभी माडल कलस्टरों में वी.ई.सी. कार्यशालाओं का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

5.5. बाल मेला–

विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं को तथा उनके अभिभावकों को विद्यालय में आयोजित शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर किया कलापों की जानकारी दिये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक माडल कलस्टर में बाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से एक ओर विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक एवं आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है, वहीं दूसरी ओर विद्यालय जाने वाली बालिकाओं तथा उनकी माताओं को विद्यालयी गतिविधियों में और अधिक सकिय सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किये जाने का प्रयास किया किया जा रहा है।

6. जेण्डर संवेदीकरण कार्यकम–

ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, जिला संदर्भ समूह, ब्लाक संदर्भ समूहों, समन्वयकों डायट अभिकर्मियों तथा शिक्षक– शिक्षिकाओं का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण आयोजित कर जेण्डर संवेदीकरण हेतु प्रयास किये गये हैं।

7. ई. सी. सी. ई. केन्द्र–

3– 6 वय वर्ग के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय के लिए तैयार करने तथा उनकी देखभाल के उद्देश्य से जनपद के 6 विकास खण्डों में 411 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। ये आंगनबाड़ी केन्द्र प्राथमिक शिक्षा की पूर्व तैयारी कराने के साथ– साथ छोटे बच्चों की देखभाल को व्यवस्था भी करते हैं जिससे छोटे बच्चों की देखभाल में संलग्न बालिकाएं विद्यालय में प्रवेश ले सकें। बालिका शिक्षा सबलीकरण हेतु आगनबाड़ी केन्द्रों को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए बालिका शिक्षा में पिछड़े क्षेत्र की 150 आगनबाड़ी केन्द्रों को ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया है। इन केन्द्रों की कार्यकत्रियों की प्रशिक्षित करके विद्यालय में अतिरिक्त समय देने के एवज में अतिरिक्त मानदेय तथा केन्द्रों हेतु शिक्षण सामग्री आदि की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है।

तालिका 4.1

वि.ख.का नाम	विण	बेरीनाग	कनालीछीना	गंगोलीहाट	धारचूला	मुनस्यारी	योग
आगनवाड़ी	73	73	72	73	70	50	411
ई.सी.सी.ई.	31	23	24	23	25	24	150

आर10. स्वास्थ्य परीक्षण–

परियोजना के अन्तर्गत जनपद में 6– 14 वय वर्ग के बच्चों का स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रतिवर्ष स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है।

गुणवत्ता संवर्धन–

गुणवत्ता संवर्धन डी.पी.ई.पी. योजना का एक महत्वपूर्ण संघटक है। कुल परियोजना परिव्यय का 70 प्रतिशत गुणवत्ता संवर्धन प्रयासों हेतु व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

क्यू1. ई.सी.ई. केन्द्र–

3– 6 वय वर्ग के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय के लिये तैयार करने के उद्देश्य से जनपद के छः विकास खण्डों 411 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। ये आंगनबाड़ी केन्द्र प्राथमिक शिक्षा की पूर्व तैयारी कराने के साथ– साथ छोटे बच्चों की देखभाल की व्यवस्था भी करते हैं जिसे छोटे बच्चों की देखभाल में संलग्न बालिकाएं विद्यालय में प्रवेश ले सकें। बालिका शिक्षा सबलिकरण हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए परियोजना में समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की कार्यकत्रियों को प्रशिक्षित करने, समेकित बाल विकास विभाग द्वारा प्रदत्त मानदेय के अतिरिक्त डी.पी.ई.पी. से मानदेय, केन्द्रों हेतु सामग्री आदि की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। द्वितीय वर्ष में 104 केन्द्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया। लक्ष्य के अनुरूप प्रस्तावित कार्य सम्पन्न कराये गये। तथा तृतीय वर्ष में 46 ई.सी.सी.ई. केन्द्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कुल 150 ई.सी.सी.ई. केन्द्र संचालित किये गये हैं।

क्यू 2. प्रशिक्षण कार्यक्रम–

गुणवत्ता संवर्धन के समस्त प्रयासों में शैक्षिक अभिकर्मियों के सेवारत एवं सेवापूर्व प्रशिक्षण का विशेष स्थान है, इसमें डी.पी.ई.पी. से सम्बन्धित सभी अभिकर्मियों के प्रशिक्षण का प्राविधान परियोजना में प्रस्तावित है।

1. ग्राम शिक्षा समिति, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का निर्माण केन्द्र प्रशिक्षण–

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत ए.आर.सी. के अतिरिक्त सभी निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराये जा रहे हैं। निर्माण कार्य की प्रगति सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा आर.ई.एस. के अवर अभियंता से प्राप्त की जाती है। इसलिए प्रत्येक विकास खण्ड में सहायक ग्राम शिक्षा समितियों तथा सहायक

बेसिक शिक्षा अधिकारियों का निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण आर.ई.एस. के सहायक अभियंताओं के निर्देशन में सम्पन्न कराया गया।

2ए. शिक्षा मित्रों का अभिप्रेरण प्रशिक्षण–

वर्ष 2003– 04 में शिक्षा मित्रों का तीस दिवसीय अभिप्रेरण प्रशिक्षण तथा गत व र्ष नियुक्त शिक्षा मित्रों को 15 दिवसीय पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण दिया गया।

2बी. वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण–

वर्ष 2003– 04 तक खोले गये 109 ई.जी.एस. एवं 18 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के आचार्य/ अनुदेशकों का तीस दिवसीय अभिप्रेरण प्रशिक्षण डायट डीडीहाट में आयोजित किया गया।

3. अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण–

बच्चों के वर्तमान शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु परियोजना में जनपद के समस्त सेवारत प्राथमिक शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण प्रस्तावित किया गया हैं। यह प्रशिक्षण योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष बी.आर.सी. स्तर पर दिया जाना है। वर्ष 2001– 02 में प्रशिक्षण हेतु टी.ओ.टी. का चयन एवं प्रशिक्षणोपरान्त कार्यरत शिक्षकों का आठ दिवसीय प्रशिक्षण 54 फेरों में सम्पन्न किया गया है। वर्ष 2002– 03 में भी एम.टी., टी.ओ.टी. तथा शिक्षकों सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। वर्ष 2003– 04 में भी सेवारत प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

5. ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण–

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समिति के कार्य एवं दायित्वों का समुदाय की अपेक्षित सहभागिता की समुचित जानकारी एवं जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से जनपद के समस्त ग्राम शिक्षा समितियों का तीन दिवसीय अभिप्रेण शिविर आयोजित किया गया। जिसमें समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ– साथ परिवार सर्वेक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन प्रकिया एवं ग्राम शिक्षा योजना निर्माण विषयक जानकारी से परिचित कराया गया। प्रशिक्षणोंपरान्त ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उक्त समस्त कार्य सम्पन्न कराये जा चुके हैं। उक्त प्रशिक्षणों का आयोजन कराने के पूर्व बी.आरजी. तथा डी.आर.जी. का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण डायट में सम्पन्न कराया गया। वर्ष 2003– 04 में जनपद की 321 ग्राम शिक्षा समितियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

7. सन्दर्भ दाता/ बी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण–

गत वर्ष बी.आर.सी. विकास खण्ड स्तर पर गुणवत्ता संवर्धन हेतु प्रमुख केन्द्र है। डायट में बी.आर.सी. समन्वयकों एवं न्याय पंचायत समन्वयकों का आधारभूत प्रशिक्षण एवं टी.ओ.टी. सम्बन्धी प्रशिक्षण आयोजित किये गये। साथ ही ब्लाक समन्वयकों को शिक्षा मित्र योजना सम्बन्धी प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। उक्त के अतिरिक्त ब्लाक

समन्वयकों एवं न्याय पंचायत समन्वयकों को कियात्मक शोध प्रकिया हेतु भी प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2002– 03 में भी डायट में सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण हेतु ब्लाक समन्वयकों, संदर्भदाताओं तथा डायट अभिकर्मियों को 10 दिवसीय पाठ्य विषयों के कठिन स्थलों पर आधारित प्रशिक्षण दिया गया।

क्यू3. शिक्षण अधिगम सामग्री–

1. विद्यालय अनुदान–

विद्यालय की साज– सज्जा एवं विद्यालय सौन्दर्यीकरण हेतु जनपद के समस्त विद्यालयों को रू. 2 हजार प्रतिवर्ष उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। लक्ष्य के अनुरूपवर्ष 2000– 01, 2001– 02, 2002– 03तथा 2003– 04 में रू. 2 हजारकी धनराशि विद्यालय के खातों में हस्तानानरित की गयी। ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा विद्यालय की आवश्कता के अनुरूप उक्त धनराशि का समुचित उपयोग किया जा रहा है।

2. टी. एल. एम.–

डी.पी.ई.पी. योजना में विद्यालयों में शिक्षण प्रकिया को सुगम, सरल, रोचक एवं अधिगम प्रभावी बनाने हेतु जनपद की समस्त अध्यापकों की रू. 500 प्रतिवर्ष अध्यापक अनुदान राशि उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2001– 02 में इस हेतु जनपद में कार्यरत 1729 अध्यापकों को रू. 500 प्रति अध्यापक की दर से उपलब्ध करायी गयी। तथा वर्ष 2002– 03 व वर्ष 2003– 04 में भी कार्यरत अध्यापकों का उक्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी। इस वर्ष अध्यापकों ने बच्चों एवं समुदाय के सहयोग से अल्प लागत वाली बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगत सामग्री का निर्माण किया, उक्त प्रकिया से छात्र– अध्यापक अन्तरकिया और प्रभावी हो सकेगी। साथ ही सृजन– शीलता एवं अभिव्यक्ति के सुअवसर प्राप्त हो सकेंगे।

3. नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें–

डी.पी.ई.पी. का मुख्य उद्देश्य शिक्षा सम्प्राप्ति में लिंग एवं सामाजिक अपवंचित वर्ग के भेदभाव के बिना समस्त वर्गो में शिक्षा सम्प्राप्ति के दर के अन्तर को 5 प्रतिशत तक लाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति के समस्त बच्चों एवं बालिकाओं को लक्ष्य समूह माना गया है। इसिलिए अनु. जाति, अनु. जनजाति के बालकों तथा समस्त वर्ग की बालिकाओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

4. बुक बैंक–

डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत जनपद के समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में बुक बैंक की स्थापना किये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2000– 01 में डी.पी.ई.पी. द्वारा उपलब्ध करायी गयी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों में से प्रत्येक विद्यालय में बुक बैंक स्थापित किया गया। उक्त बुक बैंक में निर्धन वर्ग के बच्चों एवं शिक्षकों की पहुंच, ठहराव एवं गुणवत्ता उन्नयन में सहायक सिद्ध हो सकेगा।

गुणवत्ता संवर्धन हेतु वर्ष 2000– 01 से वर्ष 2003– 04तक आयोजित कियाकलापों को प्रगति को एक दृष्टि में निम्नवत प्रदर्शित किया जा सकता है:–

गुणवत्ता संवर्धन प्रगति– परिदृष्य–

श्रेणी	क्रिया कलाप
क्यू1	150 ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की स्थापना
1	आंगनबाड़ी कार्य कत्रियों का आधारभूत एवं अनावर्ती प्रशिक्षण
क्यू2	प्रशिक्षण कार्यकम
1	ग्राम शिक्षा समितियों/ सहायक बे.शि.अ. का निर्माण कार्य का प्रशिक्षण
2	पैराटीचर्स का अभिप्रेरण प्रशिक्षण
3	ग्राम शिक्षा समितियों का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण
4	ब्लाक समन्वयक/ न्याय पंचायत समन्वयकों का प्रशिक्षण
5	सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण
6	विजनिंग कार्यशाला
क्यू3	शिक्षण अधिगत सामग्री
1	विद्यालय साज– सज्जा निधि 02 हजार प्रति विद्यालय
2	निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, अनु. जाति. अनु. जनजाति, के छात्र एवं समस्त बालिकाएं
3	टी.एल.एम./ टी.एल.ए.– 500 प्रति अध्यापक

सी. दक्षता विकास–

सी. 1 विद्यालय मानचित्र एवं सूक्ष्म नियोजन–

जनपद में चलाई जा रही डी.पी.ई.पी. योजना का एक प्रमुख लक्ष्य समुदाय की सहभागिता से ग्राम स्तरीय शैक्षिक योजनाओं का निर्माण भी है ताकि योजनायें आवश्यकता आधारित एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाई जा सके। अर्थात योजना निर्माण निचले स्तर से ऊपर की ओर हो। गत वर्ष 2000– 01 एवं 2001– 02 में जनपद की 651 ग्राम शिक्षा समितियों का अभिप्रेरण शिविर आयोजित कर सामुदायिक सहभागिता हेतु प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षणोंपरान्त सूक्ष्म नियोजन एवं

विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया। वर्ष 2003– 04 में भी ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सी2. डायट का सुदृढ़ीकरण–

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रत्येक जनपद में शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करने के लक्ष्य से स्थापित किये गये। डायट सेवा पूर्व प्रशिक्षण सेवारत प्रशिक्षण,पाठ्यकम निर्माण एवं मूल्यांकन शैक्षिक तकनीकी विकास, कार्यानुभव जनपदीय शैक्षिक संसाधनों का उपयोग, प्रबन्ध नियोजन हेतु सतत् कियाशील ईकाई है। संसाधनों की सिमित क्षमता एवं वित्तीय कमियों के कारण डायट अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहें हैं। डी.पी.ई.पी. द्वारा डायट के सुदृढ़ीकरण की दिशा में सहयोग प्रदान किया गया। ताकि जनपद का शैक्षिक संस्थान पहुंच, नामांकन धारण व अपेक्षित उपलब्धि स्तर के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। डायट हेतु विभिन्न प्रकार के शैक्षिक संसाधन एवं वित्तीय सहायता प्रदत्त की गयी।

सी3. विकास खण्ड संसाधन केन्द्र–

डी.पी.ई.पी. के तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अनुरूप विकास खण्ड स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों के निर्देशन हेतु ब्लाक संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गयी। जनपद के आठ विकास खण्डों में से 7 विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण किया जाना है। विकास खण्ड डीडीहाट में डायट स्थित होने के कारण डायट में ही ब्लाक संसाधन केन्द्र के अभिकर्मी अपने कियाकलाप सम्पादित करेंगे। उक्त 7 ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य की प्रकिया पूर्ण हो चुकी है। उक्त कार्य अल्मोड़ा जलनिगम की शाखा द्वारा किया गया है। निर्मित भवन हस्तानानरित होते ही समस्त ब्लाक संसाधन केन्द्रों के द्वारा अपने कार्यालय नवनिर्मित भवन में स्थापित कर लिये गये हैं। उक्त भवन में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी जो परियोजना के नामित ब्लाक परियोजना अधिकारी हैं। तथा एक ब्लाक समन्वयक, दो सहसमन्वयक अपने कार्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।

सी4. जिला परियोजना कार्यालय–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में जनपद स्तर पर जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की गयी। जनपद पिथौरागढ़ का परियोजना कार्यालय सरकारी भवन में स्थित हैं। आवश्यक उपकरण एवं साज–सज्जा की आपूर्ति कर दी गयी है। कार्यालय में विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, 04 जिला समन्वयक 01 सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, 01 लेखाकार, 01 शिविर

सहायक, 01 टंकक व 01 परिचारक वर्तमान में कार्यरत हैं। कार्यालय में एम.आई. एस. प्रकोष्ठ भी स्थापित किया जा चुका है।

सी5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र–

शिक्षा व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण का प्रयास डी.पी.ई.पी. का एक नवाचारयुक्त कदम है। इस दिशा में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र एक ईकाई के रूप में स्थापित की गयी है। जनपद में कुल 64 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हैं। सभी 64 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के भवनों का निर्माण वर्ष 2002– 03 तक पूर्ण कर लिया गया है।

6. समेकित शिक्षा–

जनपद में संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम का मुख्य लक्ष्य शिक्षा का सार्वजनिकरण (यू.ई.ई.) है। सार्वजनीकरण की दिशा में विशेष आवश्कता वाले बच्चों की शिक्षा पर गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिया गया है। इस हेतु समेकित शिक्षा को अपनाया गया है। इसमें समस्त शारिरिक, मानसिक, संवेगात्मक व अन्य रूप से अक्षम बच्चों के समुचित शैक्षिक विकास हेतु अतिरिक्त रूप से ध्यान दिया गया है। इस हेतु संसाधन के रूप में चार व्यक्तियों का संदर्भ समूह गठित किया गया है। विकास खण्ड विण, मूनाकोट एवं गंगोलीहाट के विशेष आवश्यकता वाले (विकलांग) बच्चों का परामर्शी शिविर आयोजित किया गया।

अध्याय– 3
संशोधित पर्सपैक्टिव कार्ययोजना एवं बजट

जनपद– पिथौरागढ़ में संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष अप्रैल 2000 से सितम्बर 2005 तक क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। जनपद में पहुँच, छात्र नामांकन, ठहराव तथा शैक्षिक सम्प्राप्ति के स्तर में सुधार हेतु डी.पी.ई.पी. III; प्राथमिक शिक्षा में एक अतिरिक्त बाह्य सहायता है। इस आशा और प्रत्याशा के साथ उक्त कार्यक्रम को जनपद में अपनाया गया कि प्राथमिक शिक्षा में हो रहे ह्रास– अवरोध को रोका जा सकेगा साथ ही प्राथमिक शिक्षा में बेहतर गुणवत्ता का प्रदर्शन हो सकेगा।

विगत चार वर्षो में किये गये विविध किया कलापों/ हस्तक्षेप के उपरान्त भी अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ कठिनाईयां/ बाधाएं बनी रहीं। उक्त हेतु कतिपय सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक एवं अन्य कारणों से कार्य नियत अवधि में पूर्ण नहीं किये जा सके। तथा कुछ अतिरिक्त किया कलाप करने की आवश्यकता महहसूस हुई। जिस कारण पर्सपेक्टिव प्लान में संशोधन/ परिवर्तन की आवश्कता पड़ी।

अतः संशोधित/ परिवर्तित पर्सपेक्टिव प्लान का स्वरूप निम्नवत है–

ए.

1. अतिरिक्त कक्षा कक्ष–

पर्सपैक्टिव प्लान में 59 अतिरिक्त कक्षा– कक्ष हेतु रू. 1652 हजार का प्रस्ताव किया गया था जो लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण कर लिये गये हैं।

2. नवीन विद्यालय स्थापना निर्माण–

पर्सपैक्टिव प्लान में 38 नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना/ निर्माण हेतु रू. 2903.2 हजार का प्रस्ताव किया गया था। जो लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण कर लिये गये हैं।

ए.

2. शिक्षा मित्रों का मानदेय–

पर्सपैक्टिव प्लान के अनुसार स्थापित 38 नवीन प्राथमिक विद्यालयों के लिये 38 शिक्षा मित्रों का मानदेय रू. 4588.8 हजार प्रस्तावित किया गया था परन्तु परियोजना के प्रथम वर्ष में शिक्षा मित्रों का चयन एवं प्रशिक्षण विलम्ब से होने के कारण अभी तक रू. 1372.975 हजार ही व्यय किया जा सका है तथा वर्ष 2004– 05 के 11 माह तथा वर्ष 05 सितम्बर तक के पाँच माह का मानदेय रू. 3 हजार प्रति माह की दर से कुल रू. 1824 हजार का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण परियोजना काल में इस मद में रू. 3196.975 हजार का व्यय प्रस्तावित है।

ब. प्रधानाध्यापकों का अतिरिक्त वेतन–

परियोजना में नव स्थापित 38 प्राथमिक विद्यालयों में 38 प्रधानाध्यापकों के पद स्थापन/ पदोन्नति के फलस्वरूप उनके वेतन अन्तराल के बराबर की धनराशि का प्राविधान परियोजना द्वारा किया गया। जो वर्ष 2003– 04 तक रू. 382 हजार तथा 2004– 04 तक रू. 342 हजार प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 7.24 हजार का प्राविधान संशोधन पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

3. फर्नीनीचर/ फिक्चर/ इक्विपमैंन्ट–

परियोजना के अन्तर्गत स्थापित 38 नवीन प्राथमिक विद्यालयों के साज– सज्जा/ काष्ठोपकरणों आदि हेतु रू. 15 हजार की दर से रू. 570 हजार का प्राविधान किया गया है। परन्तु रू. 10 हजार की दर से कुल रू. 380 हजार ही व्यय किया जा सका; अतः संसोधित योजना में इस मद में रू. 380 हजार का ही प्राविधान किया गया है।

ए3. वैकल्पिक शिक्षा–

वैकल्पिक शिक्षां व्यवस्था के अन्तर्गत पर्सपैक्टिव प्लान में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र तथा शिक्षा गारण्टी योजना को सम्मिलित करते हुए कार्य योजना बनाई गयी थी, परन्तु बाद में ए.एस. एवं ई.जी.एस. को पृथक– पृथक करते हुए वार्षिक कार्य योजना बनाई गयी जो निम्नवत है–

ए3.(ए). ए.एस.–

ए3. (I) अनुदेशक मानदेय–

मानदेय मद में रू. 3578.4 हजार का प्राविधान किया गया था परन्तु इस मद में रू. 416 हजार ही व्यय हुआ तथा शेष परियोजना अवधि के लिए रू. 304 हजार का प्राविधान करते हुए संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान रू. 720 हजार ही रखा गया है।

(II) शिक्षण सामग्री–

इस मद में रू. 994 हजार रखा गया था परन्तु संचालित 18 केन्द्रों की शिक्षण सामग्री में रू. 2.35 हजार प्रति केन्द्र की दर से रू. 42.3 हजार ही व्यय किया जा सका। अतः संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 42.3 हजार का ही प्राविधान किया गया है।

(III) निःशुल्क पाठ्य पुस्तक–

इस मद में कुल रू. 590.7 हजार का प्राविधान किया गया था परन्तु केवल एक वर्ष ही पाठ्य पुस्तकें कय की गई जिसमें रू. 19 हजार खर्च किया गया। शेष वर्षों में उपलब्ध निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों में से ही ए.एस. केन्द्रों में अध्ययनरत छात्रों को पुस्तकें वितरित की गयी। परियोजना के शेष अवधि के लिए रू. 38 हजार का प्राविधान करते हुए संसोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 57 हजार का प्राविधान किया गया है।

(IV) प्रशिक्षण–

(ए). आधारभूत प्रशिक्षण–

इस मद में कुल रू. 321.3 हजार का प्राविधान किया गया था। परन्तु इस मद में

रू. 11.25 हजार ही व्यय किया जा सका। संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 11.25 हजार ही रखा गया है।

(III) नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक–

पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण मद में रू. 588 हजार का प्राविधान किया गया था परन्तु इस मद में रू. 10 हजार ही व्यय किया जा सका। तथा आगामी वर्ष हेतु 19 हजार के प्राविधान के साथ संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 29 हजार रखा गया है।

(V) अतिरिक्त व्यय–

इस मद में कोई प्रा वधान न होने से धनराशि की व्यवस्था नही की गयी थी। परन्तु केन्द्रों की आवश्कताओं के अनुरूप सामग्री एवं सहायक शिक्षण सामग्री कय करने हेतु रू. 0.5 हजार की दर से कुल रू. 15.5 हजार व्यय किया जा चुका है एवं आगामी वर्षो के लिए रू. 19 हजार का प्राविधान करते हुए संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 34.5 हजार रखा गया है।

ए3 (बी). ई.जी.एस.–

(I) मानदेय–

इस मद में अभी रू. 2283 हजार व्यय किया जा चुका है तथा आगामी वर्षो में रू. 2044 हजार के प्रा वधान के साथ संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में कुल रू. 4327 हजार का प्राविधान किया गया है। जब कि पूर्व में ए.एस. के अन्तर्गत ही इसकी व्यवथा की गयी थी।

(II) शिक्षण सामग्री–

इस मद में रू. 273.8 हजार व्यय किया चुका है। जबकि बजट में ए.एस. के अन्तर्गत ही इस धनराशि का समावेश किया गया था। शेष परियोजना अवधि के लिए रू. 4.7 हजार के प्रावधान के साथ संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 300.8 हजार का प्रावधान किया गया है।

(III) पाठ्य पुस्तकें–

पूर्व में इस मद की धनराशि भी ए.एस. पाठ्य पुस्तकों को मद में प्रावधान किया गया था। अभी तक रू. 126.881 हजार खर्च करते हुए रू. 394.831 हजार का प्रावधान संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

(ए) आधारभूत प्रशिक्षण–

इस मद में अभी तक रू. 195.631 हजार व्यय करने के साथ अगामी वर्षो के लिए रू. 45 हजार की व्यवस्था सुनिश्चित कर कुल रू. 240.631 हजार का प्रावधान संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है जबकि पूर्व में ई.जी.एस. केन्द्रों में कार्यरत आचार्य जी के आधारभूत प्रशिक्षण का प्रावधान वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत किया गया था।

(बी) पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण–

इस मद में रू. 51 हजार के व्यय के साथ आगामी वर्ष के लिए रू. 114 हजार के प्रावधान के साथ कुल रू. 165 हजार का प्रावधान संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है जबकि पूर्व मे इस मद में पृथक से कोई धनराशि की व्यवस्था नही की गयी थी।

(V) आकस्मिक व्यय –

इस मद में पूर्व में कोई प्रावधान न होने से बजट में धनराशि की व्यवस्था नही की गयी थी परन्तु केन्द्रों में शिक्षण सामग्री की आवश्कता के अनुरूप रू. 94.5 हजार व्यय किया गया। आगामी वर्ष हेतु इस मद में रू. 124 हजार के साथ कुल रू. 218.5 हजार का संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार ए.एस. एवं ई.जी.एस. के अन्तर्गत पूर्व में रू. 7757.4 हजार का प्रावधान किया गया था। परन्तु अब संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 6540.81 हजार ही प्रावधान किया गया है।

ए4. जिला कार्यक्रम समन्वयक का वेतन–

आगामी वर्षों (परियोजना की शेष अवधि) के लिए कार्यक्रम जिला समन्वयक के वेतन आदि मद में रू. 336 हजार का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार सम्पूर्ण पहुँच कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत जहाँ पूर्व में रू. 19808.6 हजार का प्रावधान किया गया था अब रू. 15732.987 हजार का ही प्रावधान संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया जा रहा है।

आर (ठहराव)–

1. प्रचार प्रसार–

इस मद में रू. 702 हजार का प्रावधान किया गया था। परन्तु जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयं सेवी संस्थाओं, पत्रकारों एवं समुदाय से प्राप्त सहयोग के कारण इस मद में केवल रू. 66.3 हजार ही व्यय हो पाया है। अतः संशोधित कार्ययोजना में रू. 66.3 हजार का ही प्रावधान किया गया है।

2. ध्वस्त भवनों का पुनर्निमाण–

परियोजना में 55 ध्वस्त प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निमाण हेतु रू. 4202 हजार का प्रावधान किया गया था। यह कार्य लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण किया जा चुका है।

जनपद में वर्ष 98– 99 से संचालित 67 प्रा.वि. के भवन निर्माण की धनराशि उपलब्ध न होने के कारण इन विद्यालयों के भवन निर्माण नही हो पाये। जिस कारण छात्रों की पहुंच, ठहराव, प्रभावित होने के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में भी प्रतिकूल प्रभाव को रोकने की दृष्टि से वर्ष 2002– 03 की कार्ययोजना में इन विद्यालयों के निर्माण की स्वीकृति के फलस्वरूप निर्माण कार्य पर रू. 5118.8 हजार का व्यय किया गया। इस प्रकार संशोधित कार्ययोजना में 122 भवनों के निर्माण हेतु कुल रू. 9320.8 हजार का प्रावधान किया गया है।

3. शौचालय–

सम्पूर्ण परियोजना अवधि में 600 शौचालय निर्माण हेतु रू. 6000 का प्रावधान किया गया था। जिसे लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूर्ण कर प्राप्त कर लिया है।

अतः संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 6000 हजार का ही प्रावधान किया गया है।

4. पेयजल–

सम्पूर्ण परियोजना की अवधि में 250 विद्यालयों में पेयजल हेतु 5500 हजार का प्रावधान किया गया था। निर्माण कार्य पूर्ण कर लक्ष्य की प्राप्ति की जा चुकी है।

अतः संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 5500 हजार का प्रावधान ही किया गया है।

5. विद्यालय भवन मरम्मत–

योजना के अन्तर्गत 60 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत के लिए रू. 1200 का प्रावधान किया गया था। लक्ष्य के अनुरूप मरम्मत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अतः संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 1200 हजार का प्रावधान किया गया है।

6. अतिरिक्त शिक्षा मित्रों का मानदेय–

105 अतिरिक्त शिक्षा मित्रों के मानदेय मद में रू. 2111.9 हजार का ही प्रावधान किया गया था। परन्तु मानदेय में वृद्धि के फलस्वरूप रू. 7021.51 हजार अभी तक कार्य करने के अतिरिक्त आगामी वर्ष के लिए रू. 5040 हजार के प्रावधान के साथ संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान 12061.51 हजार का प्रावधान किया गया है।

7. बालिका शिक्षा–

(I) मीना कम्पेन–

इस मद में रू. 200 हजार का प्रावधान किया गया था। परन्तु 236.4 हजार व्यय होने के फलस्वरूप संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 236.4 हजार का प्रावधान किया गया।

(III) माँ बेटी मेला–

इस मद में पूर्व में धनराशि की व्यस्था नही की गयी थी परन्तु आवश्कता के अनुरूप रू. 38 हजार व्यय किया गया। अतः संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 38 हजार का प्रावधान किया गया।

(IV) वी.ई.सी. कार्यशाला–

इस मद में भी पूर्व में कोई प्रावधान नही किया गया था। परन्तु आवश्कतानुसार उस पर कार्य कराये जाने पर रू. 74 हजार व्यय किया गया। अतः संशाधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 74 हजार का प्रावधान किया गया है।

(V) क्लैस्टर मूवीलाइजेसन–

इस मद में भी पूर्व में कोई कार्यकम प्रस्तावित न होने के कारण धनराशि की

की व्यस्था नही की गयी। परन्तु आवश्कता के अनुरूप इसमें रू. 74 हजार व्यय किया गया। अतः संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 74 हजार का प्रावधान किया गया है।

(VI) निर्वाचित महिलाओं का प्रशिक्षण–

इस मद में रू. 585 हजार का प्रावधान किया गया था। परन्तु रू. 135 हजार ही व्यय होने फलस्वरूप संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 135 हजार का प्रावधान किया गया है।

(VII) एम.टी.ए./ पी.टी.ए. प्रशिक्षण–

इस मद में रू. 522.54 हजार का प्रावधान किया गया था। परन्तु आवश्कता के अनुरूप रू. 631.2 हजार का व्यय किये जाने के कारण संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में 631.2 हजार रखा गया है।

(IX) ममता वार्षिकोत्सव–

पूर्व में इस मद में कोई धनराशि का प्रावधान नही था परन्तु आवश्कतानुसार रू. 159 हजार व्यय होने के साथ अगले वर्ष के लिए 160 हजार प्रावधानित के साथ ही रू. 319 हजार का प्रावधान संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

(X) मुद्रण एवं अन्य–

इस मद में पृथक से धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित नही की गयी परन्तु आवश्कता के अनुसार रू. 8.802 हजार के व्यय के साथ अगले वर्ष हेतु रू. 5 हजार प्रावधानित होने पर संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 13.802 हजार का प्रावधान किया गया है।

(XI) बालमेला–

इस मद में रू. 128 हजार का प्रावधान किया गया है। इसमें से रू. 30 हजार व्यय होने के साथ अगले वर्ष के लिए रू. 15 हजार प्रावधानित करने पर कुल रू. 45 हजार की व्यवस्था संशोधित कार्य योजना में की गयी है।

इस प्रकार बालिका शिक्षा के अन्तर्गत सम्पूर्ण परिव्यय रू. 1756.44 हजार निर्धारित किया गया था। जिसमें से 1410.732 हजार परिव्यय होने के साथ– साथ रू. 180 हजार अगले वर्ष के लिए निर्धारित करने पर कुल रू. 1590.772 हजार का परिव्यय संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

आर8. स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम–

इस मद में धनराशि का प्रावधान नही किया गया था परन्तु परियोजना के प्रारम्भिक चरण में इसकी आवश्कता अनुभव की जाने पर इस कार्य में रू. 47.98 हजार व्यय किया गया। अतः संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 47.48 हजार का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार ठहराव कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत कुल रू. 23848.34 हजार का प्रावधान किया गया था। परन्तु अतिरिक्त शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि एवं 67 भवनहीन विद्यालयों के निर्माण से व्यय में हुई वृद्धि के फलस्वरूप रू. 3567.362

के अभी तक परिव्यय तथा सम्पूर्ण परिव्यय रू. 35787.362 हजार का प्रावधान संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

क्यू. गुणवत्ता–

क्यू1. ई.सी.सी.ई.–

(I) कार्यकत्रियों का मानदेय–

104 ई.सी.सी.ई. केन्द्रों में कार्यरत कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के अतिरिक्त मानदेय मद में रू. 1557 हजार का प्रावधान किया गया था। 46 केन्द्रों की अतिरिक्त स्वीकृति मिलने के फलस्वरूप रू. 1015.375 व्यय होने के अतिरिक्त शेष परियोजना अवधि के लिए रू. 1012.5 हजार के प्रावधान के साथ कुल रू. 2027.825 हजार का प्रावधान संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

(II) टी.एल.एम.–

इस मद में रू. 520 हजार का प्रावधान किया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष तक रू. 906 हजार की धनराशि व्यय होने के कारण संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 906 हजार का प्रावधान किया गया है। इस मद में परिव्यय हाने में आयी वृद्धि का कारण भी 46 अतिरिक्त केन्द्रों का संचालन है।

(III) आकस्मिक व्यय–

10 केन्द्रों हेतु रू. 519 हजार का प्रावधान किया गया था। परन्तु कुल 150 ई.सी.सी.ई. केन्द्र हो जाने के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष तक रू. 381 हजार के व्यय के साथ आगामी वर्षो के लिए 450 हजार के प्रावधान के साथ कुल रू. 831 हजार का प्रावधान संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

(IV) प्रशिक्षण–

ए. आधारभूत प्रशिक्षण–

ई.सी.सी.ई. कार्यकत्रियों के आधारभूत प्रशिक्षण हेतु रू. 152.88 हजार का प्रावधान किया गया था। परन्तु केन्द्रों में आयी वृद्धि के फलस्वरूप कुल रू. 190.948 हजार व्यय कर लिये जाने के फलस्वरूप संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में कुल रू. 190.948 हजार का प्रावधान किया गया है।

बी. पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण–

इस मद में रू. 135.52 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से अभी तक रू. 102 हजार व्यय किये जाने तथा आगामी वर्ष हेतु रू. 150 हजार प्रावधान करने के फलस्वरूप कुल रू. 252 हजार का प्रावधान संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

(VI) ब्लाक स्तरीय कार्यशाला/ बैठक–

इस मद में पूर्व में धनराशि का प्रावधान नही किया गया है। परन्तु महिलाओं की सक्रिय सहभागिता बढ़ाने हेतु रू. 72 हजार के अभी तक के व्यय के साथ रू. 50.4 हजार अगामी वर्षो के लिए प्रस्तावित करने पर कुल रू. 122.4 हजार की व्यवस्था संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में की गयी है।

(VII) कार्यक्रम समन्वयक का वेतन आदि–

परियोजना की शेष अवधि के लिए इस मद में रू. 325.5 हजार का प्रावधान करने पर संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में कुल रू. 325.5 हजार प्रस्तावित किया गया है।

क्यू2.

(II) वी.ई.सी. प्रशिक्षण–

ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु रू. 720 हजार का प्रावधान किया गया था। परन्तु प्रशिक्षण धनराशि में वृद्धि के फलस्वरूप इस मद में रू. 1334.398 हजार व्यय किया गया है तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए रू. 109 के प्राविधान के साथ संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में कुल परिव्यय रू. 1513.398 हजार का प्रावधान किया गया है।

(III) पैरा शिक्षा मित्र प्रशिक्षण–

(ए) आधारभूत प्रशिक्षण–

इस मद में रू. 159.6 हजार का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था। परन्तु प्रशिक्षण लागत में की गयी वृद्धि के फलस्वरूप रू. 248.917 हजार का व्यय इस मद में किया जा चुका है। अतः संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में कुल रू. 248.917 हजार का प्रावधान किया गया है।

(बी). पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण–

इस मद में रू. 263.2 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से अभी तक रू. 92.7 हजार की व्यवस्था करने पर कुल परिव्यय रू. 221.4 हजार का प्रावधान संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

(IV) सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण–

इस मद में कुल रू. 8410 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से 3983.997 हजार के अभी तक के परिव्यय के साथ अगले वर्ष हेतु रू. 1285.2 हजार का प्राविधान करने पर रू. 5268.997 का प्रावधान संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

(V) बी.आर.सी. समन्वयक प्रशिक्षण–

इस मद में रू. 134.4 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें रू. 59.666 हजार व्यय किया गया। अतः संशोधित पर्सपैक्टिप प्लान में रू. 59.666 हजार व्यय किया गया। अतः संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 59.666 हजार का ही प्रावधान

किया गया है।

(VI) एन.पी.आर.सी. समन्वयक प्रशिक्षण–

इस मद में रू. 204.8 हजार का परिव्यय प्रस्तावित था। जिसमें 63.895 हजार व्यय किये जाने के फलस्वरूप संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 63.895 हजार का प्रावधान किया गया।

(VII) टी.ओ.टी. –

इस मद में पूर्व में धनराशि का प्रावधान नही किया जा सका परन्तु आवश्कतानुसार रू. 29.25 हजार परिव्यय के साथ अगले वित्तीय वर्ष के लिए रू. 24.5 हजार प्रावधानित होने पर कुल रू. 73.75 हजार की व्यवस्था संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में की गयी है।

(X) डी.आर.जी./ बी.आर.जी. प्रशिक्षण –

इस मद में धनराशि का प्रावधान पूर्व में नही किया जा सका परन्तु आवश्कतानुसार 72.4 हजार व्यय हो जाने के फलस्वरूप संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 72.4 हजार प्रावधानित है।

(XI) बी.आर.जी. मीटिंग –

इस मद में भी पूर्व में धनराशि का आवश्कतानुसार रू. 182.4 हजार व्यय किये जाने के फलस्वरूप संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 7.945 हजार का प्रावधान किया गया है।

(XII) लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण–

इस मद में धनराशि का प्रावधान न होने पर भी आवश्यकता के अनुरूप स्वीकृति प्राप्ति होने पर रू. 68.95 हजार व्यय किया गया अतः संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 68.95 हजार का प्रावधान किया गया है।

(XIV) कार्यक्रम समन्वयक का वेतन आदि–

जिला कार्यक्रम समन्वयक का शेष परियोजना अवधि का वेतन आदि मद में रू. 378 हजार प्रस्तावित किये जाने के फलस्वरूप संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में कुल रू. 378 हजार का प्रावधान किया गया है।

क्यू3. (I) विद्यालय अनुदान–

इस मद में रू. 8476 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से रू. 8182 हजार व्यय किया जा चुका है तथा शेष परियोजना अवधि के लिए रू. 4276 हजार का प्रावधान करने के फलस्वरूप कुल रू. 12458 हजार का प्रावधान संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

(II) शिक्षक अनुदान–

इस मद में रू. 3812 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से रू. 2773 हजार का व्यय कर लिये जाने तथा परियोजना की शेष अवधि के लिए रू. 2102 हजार

प्रावधानित करने पर कुल रू. 4875 हजार का प्रावधान संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

(III) निःशुल्क पाठ्य पुस्तक–

इस मद में रू. 5403.96 हजार का प्रावधान किया गया था। परन्तु पुस्तकों के मूल्य के साथ– साथ छात्र संख्या वृद्धि के फलस्वरूप रू. 6422.464 हजार का व्यय किया जा चुका है। शेष परियोजना अवधि के लिए 3649.33 हजार प्रावधानित होने के कारण कुल रू. 10071.994 हजार का प्रावधान संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

(IV) कार्यक्रम समन्वयक का वेतन आदि –

इस मद में रू. 409.5 हजार का प्रावधान शेष परियोजना अवधि के लिए किये जाने पर कुल रू. 409.5 हजार का प्रावधान ही संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

इस प्रकार गुणवत्ता सम्वर्द्धन के अन्तर्गत कुल रू. 34581.8 हजार का प्रावधान पूर्व में किया गया था। जिसमें से अभी तक रू. 26189.103 हजार व्यय किया जा चुका है। तथा शेष परियोजना अवधि के लिए रू. 14420.63 हजार का प्रावधान किये जाने पर कुल रू. 40906.733 की व्यवस्था संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में की गयी है।

सी. क्षमता विकास–

सी1. विद्यालय मानचित्रण एवं सूक्ष्म नियोजन–

(I) मुद्रण/ सर्वेक्षण–

इस मद में रू. 80 हजार का प्रावधान किया गया था जिसमें से रू. 21 हजार व्यय किया गया। अतः संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 21 हजार का ही प्रावधान किया गया है।

(III) ग्रामीण स्तरीय सूक्ष्म नियोजन–

इस मद में रू. 240 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से रू. 29.997 हजार व्यय किया गया। अतः संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में 29.997 हजार का प्रावधान किया गया है।

सी2. डायट का सुदृढ़ीकरण–

(I) काष्ठोपकरण–

इस मद में धनराशि की व्यवस्था नही की गयी थी। परन्तु आवश्कतानुरूप रू. 49.98 हजार व्यय किये जाने के फलस्वरूप संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 49.98 हजार का प्रावधान किया गया है।

(II) उपकरण–

इस मद में रू. 50 हजार का प्रावधान किया गया था परन्तु आवश्कता अनुरूप रू. 175 हजार का व्यय किया जा चुका है। अतः संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 175

हजार का प्रावधान किया गया है।

(III) पुस्तकें–

इस मद में रू. 40 हजार का प्रावधान किया गया था परन्तु रू. 8.048 हजार व्यय किया जा सका। संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में 8.048 हजार का प्रावधान किया गया है।

(IV) प्रिटिंग–

इस मद में धनराशि का प्रावधान नही किया गया। परन्तु आवश्कतानुरूप रू. 177.869 हजार व्यय किया जा चुका है। अतः संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 177.869 हजार का प्रावधान किया गया है।

(V) यात्रा भत्ता–

इस मद में रू. 150 हजार का प्रावधान किया गया था। परन्तु अभी तक रू. 232.356 हजार व्यय के साथा शेष परियोजना अवधि के लिए रू. 150 हजार के प्रावधान करने पर कुल रू. 382.356 का परिव्यय संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

(VI) रखरखाव–

इस मद में धनराशि का प्रावधान नही किया था। परन्तु आवश्कतानुरूप रू. 109.956 व्यय किये जाने के कारण संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 109.956 का प्रावधान किया गया है।

(VII) कार्यशाला एवं गोष्ठियां–

इस मद में धनराशि का प्रावधान नही किया गया था परन्तु आवश्कतानुसार अभी तक 92.089 हजार के व्यय के साथ शेष परियोजना अवधि में रू. 20 हजार हजार का प्रावधान किये जाने पर कुल रू. 112.089 हजार का प्रावधान संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

(VIII) वाहन क्रय–

इस मद में रू. 350 हजार का प्रावधान किया गया है। परन्तु आवश्कता के अनुसार रू. 374.995 हजार व्यय होने पर संशोधित पर्सपैक्टिप प्लान में 374.995 हजार का प्रावधान किया गया है।

(IX) पी.ओ.एल.–

इस मद में रू. 135 हजार का प्रावधान किया गया है। जिसमें से रू. 158.064 हजार व्यय होने के साथ ही शेष परियोजना अवधि के लिए रू. 75 हजार प्रावधानित करने परउ कुल रू. 233.064 हजार का प्रस्ताव संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

(X) एक्शन रीसर्च–

इस मद में रू. 120 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से रू. 67.553 हजार का व्यय किया गया। अतः संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 67.553 हजार का प्रावधान किया गया है।

(XI) चालक का मानदेय–

इस मद में कुल रू. 135 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से रू. 72.592 हजार अभी तक व्यय करने तथा शेष परियोजना अवधि तक के लिए रू. 45 हजार की व्यवस्था करने पर कुल रू. 117.592 प्रावधान संशोधित पसैपैक्टिव प्लान किया गया है।

(XII) आकस्मिक व्यय–

इस मद में धनराशि की व्यवस्था पूर्व में नही की गयी थी परन्तु आवश्कता के अनुरूप रू. 50.842 हजार अभी तक व्यय करने के साथ ही शेष परियोजना अवधि के लिए रू. 40 हजार का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कुल रू. 90.842 हजार का प्रावधान संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

(XIII) मूल्यांकन–

इस मद में पूर्व में धनराशि की व्यवस्था नही की गयी थी। परियोजना के अन्तिम वर्ष मूल्यांकन कार्य की आवश्यकता को देखते हुए रू. 100 हजार का प्रावधान करने पर संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 100 हजार का प्रावधान किया गया है।

सी3. बी.आर.सी.–

(I) निर्माण कार्य–

8 बी.आर.सी. के भवन निर्माण हेतु रू. 64 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से 7 बी.आर.सी. भवन निर्माण पर कुल रू. 5600 हजार व्यय किया गया। एक विकास खण्ड में डायट स्थापित होने के कारण बी.आर.सी. भवन का निर्माण नही किया गया। इस प्रकार संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में कुल रू. 5600 हजार का प्रावधान ही किया गया है।

(II) ब्लाक समन्वयक एवं सहसमन्वयकों का वेतन आदि–

इस मद में ब्लाक समन्वयकों एवं सहसमन्वयकों के वेतन आदि में रू. 4772 हजार का प्रावधान किया गया। वेतन वृद्धि के फलस्वरूप इस मद में अभी तक रू. 9313.6 का व्यय हो चुका है। परियोजना के शेष अवधि हेतु रू. 4608 हजार की व्यवस्था करते हुए कुल रू. 13921.6 हजार का प्रावधान संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

(III) **उपकरण–**

इस मद में रू. 12 हजार का प्रावधान किया गया था। लक्ष्य के अनुरूप समस्त धनराशि व्यय की जा चुकी है। इस प्रकार संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 1200 हजार का प्रावधान किया गया है।

(IV) **यात्रा भत्ता–**

इस मद में रू. 150 हजार का प्रावधान किया गया था। परन्तु आवश्कतानुरूप रू. 221.417 हजार का व्यय हुआ है। अतः संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 221.417 हजार का प्रावधान किया गया है।

(VI) **कन्ज्यूमेवुल–**

इस मद में रू. 180 का प्रावधान किया गया था। जिसमें से रू. 128 हजार का व्यय कर लिये जाने से संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में 128 हजार का प्राावधान किया गया है।

(VIII) **चौकीदार का मानदेय–**

इस मद में पूर्व में धनराशि की व्यवस्था नही की गयी थी। परन्तु आवश्कता के अनुसार शेष परियोजना अवधि के लिए रू. 360 हजार का प्रावधान संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

(IX) **पुस्तकें–**

इस मद में रू. 240 हजार का प्रावधान किया गय था। परन्तु आवश्यकता अनुरूप रू. 40 हजार की व्यय किया जा सका। अतः संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में 40 हजार का ही प्रावधान किया गया है।

(X) **मेला एवं प्रदर्शनी–**

इस मद में 160 हजार का प्रावधान किया गया था। परन्तु आवश्यकता के अनुरूप रू. 86.233 हजार व्यय होने के फलस्वरूप रू. 86.233 हजार का ही प्रावधान संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

सी4. डी.पी.ओ.–

(I) **उपकरण–**

इस मद में रू. 200 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से आवश्यकतानुरूप रू. 184.843 हजार व्यय होने के फलस्वरूप संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 184.843 हजार ही प्रावधान किया गया है।

(II) **काष्ठोपकरण–**

इस मद में रू. 120 हजार का प्रावधान किया गया था परन्तु आवश्यकतानुरूप रू. 92.15 हजार ही व्यय किया गया। जिसके कारण संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 92.15 हजार ही प्रावधानित हैं।

(III)पुस्तकें–

इस मद में रू. 50 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से आवश्यकतानुसार रू. 10 हजार ही व्यय किया जा सका। जिस कारण पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 10 हजार का ही प्रावधान किया गया है।

(V)कैन्सलटेन्सी चार्जेज–इस मद में रू. 1214.2 हजार का प्रावधान किया गया था। परन्तु आवश्यकता के अनुसार रू. 10 हजार ही व्यय किये जाने के फलस्वरूप संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 10 हजार का ही प्रावधान किया गया है।

(VI) कर्मचारियों का वेतन–

इस मद में रू. 6900 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से रू. 6264.199 हजार व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष तक किये जाने तथा शेष परियोजना अवधि के लिए रू. 1950 हजार प्रावधानित किये जाने के फलस्वरूप कुल रू. 8214.199 हजार की व्यवस्था संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में की गयी है।

(VII)कन्ज्यूमेवुल– इस मद में रू. 200 हजार प्रावधानित था। जिसमें से आवश्कता के अनुरूप रू. 77.39 हजार व्यय होने के फलस्वरूप कुल रू. 77.39 हजार का ही प्रावधान संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

(VIII) टेलीफोन एवं फैक्स–

इस मद में रू. 200 हजार का प्रावधान रखा गया था। जिसमें से रू. 64.243 हजार का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष तक तथा शेष परियोजना अवधि के लिए रू. 35 हजार प्रावधानित किये जाने के फलस्वरूप रू. 99.243 हजार का प्रावधान संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में किया गया है।

(IX)वाहन अनुरक्षण/ पी.ओ.एल.–इस मद में रू. 750 हजार का प्रावधान किया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष तक रू. 267.478 हजार के परिव्यय तथा शेष परियोजना अवधि के लिए रू. 80 हजार प्रावधानित होने पर कुल रू. 347.478 हजार की की व्यवस्था संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में की गयी है।

(X) उपकरण रखरखाव–

इस मद में रू. 80 हजार का प्रावधान रखा गया था। जिसमें से आवश्कता के अनुरूप रू. 31.9 हजार व्यय होने के फलस्वरूप संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 31.9 हजार का प्रावधान किया गया है।

(XI)यात्रा भत्ता–

इस मद में रू. 180 हजार का प्रावधान रखा गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष तक रू. 429.433 हजार के परिव्यय तथा शेष परियोजना अवधि में रू. 125 हजार का प्रावधान करते हुए संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में रू. 554.433 हजार का प्रावधान किया गया है।

(XII) सेमीनार एवं वर्कशाप–

इस मद में रू. 160 हजार का प्रावधान किया गया था परन्तु आवश्कतानुसार रू. 61.661 हजार का व्यय अभी तक इस मद में किया गया है। अतः संशोधित कार्ययोजना में रू. 61.661 हजार की व्यवस्था की गयी है।

(XIII) वाहन किराया–

इस मद में रू. 50 हजार का प्रावधान किया गया था जिसमें से रू. 51.4 हजार व्यय अभी तक किया जा चुका है। शेष परियोजना अवधि के लिए इस मद में कोई प्रावधान न करने पर संशोधित योजना में इस मद में रू. 51.4 हजार का ही प्रावधान किया गया है।

(XV) जनपद स्तरीय प्रदर्शनी/ मेला आदि –

इस मद में रू. 100 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से रू. 10 हजार अभी तक व्यय किया जा चुका है। इस प्रकार संशोधित योजना में केवल रू. 10 हजार का ही प्रावधान किया गया है।

(XVI) एक्सपोजर विजिट–

इस मद में रू. 60 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से अभी तक रू. 20 हजार व्यय किया गया है। अतः संशोधित योजना में केवल रू. 20 हजार का ही प्रावधान किया गया है।

(XVI) (ए) कार्यालय किराया–

जिला परियोजना के किराये के मद में रू. 120 हजार का प्रावधान किया गया था, परन्तु कार्यालय विभागीय भवन में स्थापित किये जाने के कारण इस मद में कोई व्यय नही किया गया। अतः संशोधित कार्ययोजना में इस मद में धनराशि की व्यवस्था नही की गयी है।

(XVII) जिला स्तरीय कनवर्जन–

विभिन्न विभागों से समय– समय पर तालमेल तथा सहयोग प्राप्त करने हेतु बैठक एवं कार्यशाला आयोजन के उद्देश्य से रू. 75 हजार का प्रावधान किया गया था। अभी तक रू. 20 हजार व्यय किया जा सका। अतः संशोधित कार्ययोजना रू. 20 हजार की व्यवस्था की गयी है।

(XVII) वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट निर्माण कार्यशाला–

प्रतिवर्ष वार्षिक कार्ययोजना निर्माण के लिए इस मद में रू. 75 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से रू. 31.465 ही व्यय किया गया है। अतः संशोधित कार्य–योजना में रू. 31.465 का ही प्रावधान किया गया है।

(XVIII) (ए) मोटरसाइकिल–

परियोजना अभिकर्मियों हेतु इस मद में रू. 390 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से रू. 100 हजार का व्यय अभी तक किया गया है। अतः संशोधित कार्य–योजना में इस मद में रू. 100 हजार की व्यवस्था ही की गयी है।

(XIX) शोध/ मूल्यांकन–

इस मद में रू. 140 हजार का प्रावधान किया गया था। परन्तु यह कार्य डायट स्तर से किये जाने के कारण परियोजना कार्यालय में किसी प्रकार का व्यय नही किया जा सका। अतः संशोधित कार्ययोजना में इस मद में धन का प्रावधान नही किया गया है।

(XX) आकस्मिक व्यय–

परियोजना कार्यालय के आकस्मिक व्यय मद में रू. 100 हजार का प्रावधान किया गया था। अभी तक इस मद में रू. 207.988 हजार का व्यय किया जा चुका है। शेष परियोजना अवधि में आकस्मिक व्यय की व्यवस्था एस.एस.ए. मद से की गयी है। इस प्रकार संशोधित कार्ययोजना में कुल रू. 207.988 हजार का प्रावधान किया गया है।

(XXI) नवाचार –

इस मद में रू. 200 हजार का प्रावधान परन्तु इस कार्य को डायट स्तर से सम्पर्क कराने के कारण परियोजना कार्यालय की धनराशि व्यय नही की जा सकी अतः संशोधित कार्ययोजना में इस मद में धनराशि की व्यवस्था नही की गयी है।

(XXI) (ए) मूल्यांकन–

इस मद में धनराशि का प्रावधान नही किया गया था। तथा अभी तक कोई धनराशि व्यय नही की गयी है। शेष परियोजना अवधि में यह अनुभव किया जा रहा है कि योजना का मूल्यांकन करने हेतु धनराशि की आवश्कता पड़ेगी अतः इस मद में संशोधित कार्ययोजना रू. 30 हजार का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार जिला परियोजना कार्यालय का सम्पूर्ण परिव्यय रू. 11814.2 हजार निर्धारित किया गया था। जिसमें से अभी तक रू. 7934.15 हजार व्यय किया जा चुका है। शेष परियोजना अवधि के लिए रू. 2020.00 हजार के प्रावधान के साथ संशोधित कार्ययोजना में कुल रू. 10154.15 हजार की व्यवस्था की गयी है।

सी5. एम.आई.एस.–

1. एम.आई.एस. कक्ष सज्जाकरण–

इस मद में रू. 180 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से रू. 136.287 हजार अभी तक व्यय किया गया है। अतः संशोधित कार्ययोजना में 136.287 हजार का ही प्रावधान अब किया गया है।

2. मुद्रण/ सर्वेक्षण–

इस मद में रू. 100 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से अभी तक रू. 63.25 हजार व्यय किया जा चुका है। शेष परियोजना अवधि हेतु रू. 50 हजार की व्यवस्था के साथ रू. 113.25 हजार का प्रावधान संशोधित कार्ययोजना में किया गया है।

3. उपकरण–

इस मद में रू. 200 हजार का प्रावधान किया गया था जिसमें से रू. 13.662 हजार का व्यय किया गया है। अतः संशोधित कार्ययोजना में कुल रू. 13.662 हजार का ही प्रावधान किया गया है।

4. कम्प्यूटर प्रशिक्षण–

इस मद में कुल रू. 50 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से अभी तक रू. 25 हजार व्यय किया जा चुका है। संशोधित कार्ययोजना में कुल रू. 25 हजार की ही व्यवस्था की गयी है।

5. उपकरण मरम्मत–

इस मद में कुल रू. 120 हजार का प्रावधान किया गया था जिसमें से रू. 25 हजार व्यय अभी तक किया जा चुका है अतः संशोधित कार्ययोजना में केवल रू. 24 हजार की व्यवस्था ही की गयी है।

7. कन्ज्यूमेबल–

इस मद में कुल रू. 150 हजार की व्यवस्था की गयी थी जिसमें से अभी तक इस मद में रू. 16.59 ही व्यय किया जा सका है। तथा शेष परियोजना अवधि के लिए रू. 20 हजार का प्रावधान करते हुए संशोधित कार्ययोजना में रू. 36.59 हजार की व्यवस्था की की गयी है।

इस प्रकार एम.आई.एस. मद में कुल रू. 850 हजार की व्यवस्था की गयी थी। जिसमें से अभी तक रू. 278.789 हजार व्यय किये जा चुके हैं। तथा शेष परियोजना अवधि के लिए रू. 70 हजार की व्यवस्था करने के साथ ही संशोधित पर्सपैक्टिव कार्य–योजना में इस मद में कुल रू. 348.789 हजार का प्रावधान किया गया है।

सी6. विद्यालय संकुल–

1.निर्माण–

जनपद में 64 न्याय पंचायत संशाधन केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए रू. 1792.00 हजार की गयी थी। लक्ष्य के अनुरूप सभी भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। अतः संशोधित कार्ययोजना में भी रू. 1792 हजार का ही प्रावधान किया गया है।

2. समन्वयक वेतन आदि–

न्याय पंचायत समन्वयकों के वेतन आदि हेतु इस मद में कुल रू. 14652 हजार का प्रावधान किया गया था। परन्तु वेतन भत्ते में बढ़ोतरी/ संशोधित के फलस्वरूप अभी तक इस मद में रू. 24680 हजार का परिव्यय हो चुका है। शेष परियोजना अवधि के लिए रू. 13824 हजार के प्रावधान के साथ इस मद में कुल रू. 38504 हजार की व्यवस्था संशोधित कार्ययोजना में की गयी है।

3. काष्ठोपकरण–

न्याय पंचायत संशाधन केन्द्रों हेतु इस मद में रू. 960 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से सम्पूर्ण धनराशि व्यय की जा चुकी है। अतः संशोधित कार्ययोजना में रू. 960 हजार का ही प्रावधान किया गया है।

4. पुस्तकें–

इस मद में कुल रू. 640 हजार की व्यवस्था की गयी थी। जिसमें रू. 320 हजार का व्यय अभी तक कर लिया गया है। अतः संशोधित कार्ययोजना में केवल रू. 320 हजार का प्रावधान ही किया गया है।

5. श्रव्यदृश्य किराया आदि–

इस मद में रू. 177.6 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से रू. 102.4 हजार का व्यय अभी तक कर लिया गया है। अतः संशोधित कार्ययोजना में केवल 102.4 हजार की ही व्यवस्था की गयी है।

6. आकस्मिक व्यय–

इस मद में धनराशि की व्यवस्था नही की जा सकी परन्तु अभी तक रू. 224 हजार खर्च किये जा चुके हैं। अतः संशोधित कार्ययोजना में रू. 224 हजार की ही व्यवस्था की गयी है।

7. मासिक बैठक–

इस मद में रू. 444 हजार की व्यवस्था की गयी थी जिसमें से अभी तक 768 हजार व्यय किये जा चुके हैं। अतः संशोधित कार्ययोजन में भी रू. 768 हजार की ही व्यवस्था की गयी है।

8. कार्यशाला/ मेला आदि–

इस मद में धनराशि की व्यवस्था नही की गयी थी। परन्तु अभी तक रू. 64 हजार खर्च किये गये हैं। अतः संशोधित कार्ययोजना में भी रू. 64 हजार का व्यय प्रावधानित है।

इस प्रकार संकुल स्तर पर कुल व्यय रू. 18665.6 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से अभी तक रू. 28910.4 हजार व्यय किये जा चुके है। शेष

परियोजना अवधि के लिए रू. 13824 हजार के प्रावधान के साथ कुल रू. 42734.4 हजार की व्यवस्थ की गयी है।

सी7. दूरस्थ शिक्षा–

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम संचालन हेतु सम्पूर्ण परिव्यय 968 हजार का प्रावधान किया गया था। जिसमें से अभी तक रू. 46.5 हजार ही व्यय किये जा सके हैं। शेष परियोजना अवधि के लिए रू. 120 हजार के प्रावधान के साथ संशोधित कार्ययोजना में रू. 166.5 हजार की व्यवस्था की गयी है।

सी8. समेकित शिक्षा–

विशेष आवश्कता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था तथा अन्य व्यय में कुल रू. 1807 हजार का प्रावधान कार्ययोजना में किया गया था। जिसमें से अभी तक रू. 116.397 हजार का व्यय किया गया है। शेष परियोजना अवधि के लिए रू. 120 हजार की व्यवस्था करने के साथ ही कुल रू. 236.39 हजार का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार क्षमता विकास में कुल परिव्यय रू. 48180.8 हजार निर्धारित किया गया था। जिसमें से अभी तक रू. 55495.827 हजार व्यय किये जा चुके हैं। तथा शेष परियोजना अवधि के लिए रू. 22062 हजार का परिव्यय निर्धारित करते हुए संशोधित कार्ययोजना में कुल परिव्यय रू. 77557.827 दर्शाया गया है।

इस प्रकार जनपद की सम्पूर्ण कार्ययोजना रू. 126419.54 हजार की निर्धारित की गयी थी। जिसमें से अभी तक रू. 122461.279 हजार का परिव्यय प्राप्त कर लिया गया है। तथा शेष परियोजना अवधि के लिए रू. 46823.55 हजार का परिव्यय निर्धारित किया गया है। अतः संशोधित पर्सपैक्टिव प्लान में सम्पूर्ण परिव्यय रू. **169284.829** हजार निर्धारित किया गया है।

Revised Perspective Plan

Sl. No.	Activity Heads	Approved Perspevtive Plan/ Project Target		Achievenent		Remaining Plan for 2004-05 against approved perspective		Addtionality		Plan for remaining Project period		Revised perspective	
		Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	A1. Additional Class rooms	59	1602	59	1652							59	1652
	A2. New Primary Schools												
1-	Construction	38	2903.2	38	2903.2							38	2903.2
2a.	Salary of Para-Teachers 28*11+10*6		4588.8		1373.975		3215.825				1824		3196.975
2b.	Addl. Salary of Head Teacher 28*12,10*6				382		-382		382		342		742
3-	Furniture/Fixture & Equip	38	570		380		190					38	380
	Total		**9714**		**6690.175**		**3023.824**		**382**		**2166**		**8856.175**
	A3. Alternative Schools												
	(A) Shiksha Ghar.												
1-	Honorariuim 19*11												
	(a) Worker 19*11	5964	3578.4		416		3162.4			4	304		720
	(b) Supervisor/contingency	600	600				600						
2-	Educational Materials	497	994		4230		951.7						42.3
3-	Text Books/TLM	358	590.7		19		571.7			38	38		57
4-	Training-Worker/Supervisor												
	(a) Induction	153	321.3		11.25		310.05						11.25
	(b) Recurring	394	588		10		578			19	19		29
5-	contingency				15.5		-15.5		15.5		19		34.5
6	Equipments	139	1085					1085					
	Total		**7757.4**		**574.05**		**7243.35**		**15.5**		**380**		**894.05**
B	**EGS**												
1-	Honorarium				2283		-2283		2283		2044		4387
2-	Educational Materials				253.8		-253.8		253.8	20	47		300.8
3-	Text Books/TLM				126.831		-126.831		126.831	268	268		394.831
4-	Training-Worker/Supervisor												
	(a) Induction				195.631		-195.631		195.631	20	45		240.631
	(b) Recurring				51		-51		51	114	114		165
5-	Contingency				94.5		-94.5		94.5	248	124		218.5
	Total EGS				3004.762		-3004.762		3004.762		2642		5646.762
	Total- AS/ EGS				**3518.812**		**4238.588**		**3020.262**		**3022**		**6540.812**
A4	**Raji Tribe Residential School**	567	2337.2				2337.2						
	salary of Programme Coor.									1	336		336
	Sub Total As/ EGS										**3358**		
	Sub Total A		**19808.6**		**10208.987**		**9599.613**		**492**		**5524**		**15732.987**

Sl. No.	Activity Heads	Approved Perspevtive Plan/ Project Target		Achievenent		Remaining Plan for 2004-04 against approved perspective		Addtionality		Plan for remaining Project period		Revised perspective	
		Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R	Retention												
R1	Publicity & Extention	702	702		66.3		635.7						66.3
R2	Reconstruction of old P.S.	55	4202		9320.8		-5118.8	67	5118.8				9320.8
R3	Toilet	600	6000		6000								6000
R4	Drinking Water	250	5500		5500								5500
R5	Repair & Maintenance	60	1200		1200								1200
R6	Salary of Add. Para teacher	1	2111.9				-4909.61		4909.61		5040		12061.51
R7	Promotiong of Girls Education												
1	Meena Campaign	8	200		236.4		-36.4		36.4				236.4
2	Model Village	8	320				320						
3	Maai Beti mela				38		-38		38				38
4	VEC Workshop at NPRC				74		-74		74				74
5	Cluster Mobilization Programme				74		-74		74				74
6	Training of Elected Women		585.9		135		490.9						135
7	MTA/ PTA- Training		522.54		631.2		-108.66		108.66				631.2
8	TOT of MAMTA				24.37		-2437		24.37				24.37
9	Mamta Annual Function				159		-159		159		160		319
10	Printing & Others				8.802		-8.802		8.802		5		13.802
11	Bal Mela		128		30		98				15		45
	Total of R7		1756.44		1410.772		343.138				180		1590.772
R8	Health Checkup Programme				47.98		-47.98		47.98				47.98
R9	Hororarium of												
1	AE		360				360						
2	JE		2016				2016						
	Sub Total of Rentation		23848.34		30567.362		-6623.062		6623.062		5220		35787.362

Sl. No.	Activity Heads	Approved Perspevtive Plan/ Project Target		Achievenent		Remaining Plan for 2004-04 against approved perspective		Addtionality		Plan for remaining Project period		Revised perspective	
		Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
Q	Quality Improvement												
Q1	Opening of ECCE												
1	Honorarium of workers		1557		1015.375		541.625				1012.5		2027.875
2	TLM		520		906		-386		386				906
3	Contingency		519		381		138				450		831
4	Training of ECCE												
	1- Induction	104	152.88		190.948		-38.068		38.068				190.948
	2- Recurring		135.52		102		33.52				150		252
5	Training of Angan Bari Workers	1644	805.56				805.56						
6	Bock level workshops /Meeting				72		-72		72		50.4		122.4
7	Salary of Prog. Coor.										325.5		325.5
	Total		**3689.96**		**2667.323**		**1022.637**		**149.068**		**1988.4**		**4655.723**
Q2	1-Civil Work Training		30				30						
	2- VEC Training		720		1334.398		-614.318		614.318		85.92		1420.318
	3- Training of Para teachers												
	1). Induction		159.6		248.917		-89.317		89.317				248.917
	2). Recurring				92.7		170.5		128.7		128.7		221.4
4	Inservice Teachers Training		8410		3983.797		4426.203				1285.2		5268.997
5	BRC coordinator Training		134.4		59.664		74.736						59.664
6	NPRC		204.8		63.895		140.905						63.895
7	TOT				29.25		-29.25		29.25		24.5		53.75
8	ABSA/SDI Training		26.6				26.6						
9	Head Teacher Training		866.88				866.88						
10	DRG/BRC Training				72.4		-72.4		72.4				72.4
11	BRG meeting				182.4		-182.4		182.4				182.4
12	DRG				7.945		-7.945		7.945				7.945
13	Gender Senstization Training				68.95		-68.95		68.95				68.95
14	Salaryof Prog. Coor.										378		378
	Total		**10814.48**		**6144.316**		**4670.164**		**1064.66**		**1902.32**		**8046.636**
Q3	**TLM**												
1	School Improvement Funds		8476		8182		294				4276		12458
2	Teachers Grant		3812		2773		1039				2102		4875
3	Free Text Book		5403.96		6422.464		-1018.504		1018.504		3649.33		10071.794
4	Salary of Prog. Coor.										409.5		409.5
	Total		17691.96		17377.464		314.496		1018.504		10436.83		27814.294

Sl. No.	Activity Heads	Approved Perspective Plan/ Project Target		Achievenent		Remaining Plan for 2004-04 against approved perspective		Addtionality		Plan for remaining Project period		Revised perspective	
		Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1a.	School improvement Fund												
1b.	School Maintainance												
2-	Teachers Grant												
3-	Free text book with book cartage												
4-	Book Bank/Book Cartage												
	Total												
Q4	**Award to VEC (Per Block)**	32	800				800						
Q5	**School Award**	64	320				320						
Q6	**Library/ Book Bank**		1265.4				1265.4						
	Sub Total (Q1- Q5)		**34581.8**		**26189.103**		**8392.697**		**2579.232**		**14327.55**		**40516.653**
C	**Capicity Bulding**												
C1	**Sch.map & micro planning**												
1-	Printing/Survey	8	80		21		59						21
2-	Seminar & Workshop	16	48				48						
3-	Village Level Microplanning	16	240		29.997		210.003						29.997
	Total		**368**		**50.997**		**317.003**						**50.997**
	C2 Operationalising DIETS												
1	Furniture & Fixture				49.98		-49.98		49.98				
2	Equipaments		50		175		-125		125				175
3	Books		40		8.048		31.952						8.048
4	Printing				177.869		-177.869		177.869				177.869
5	TA		150		232.356		-82.356		82.356		150		382.356
6	Maintenance				109.956		-109.956		109.156				109.156
7	Workshop / Seminar				92.089		-92.089		92.089		20		112
8	Puches of vehicle		350		374.995		-24.995		24.995				374.995
9	POL		135		158.064		-23.064		23.064		75		233.064
10	Action Research		120		67.553		52.457						67.553
11	Wages of driver		135		72.592		62.408				45		117.592
12	Contingency				50.842		-50842		50.842		40		90.842
13	Evaluation										100		100
	Total		**980**		**1569.344**		**-589.344**		**735.971**		**430**		**1999.344**

Sl. No.	Activity Heads	Approved Perspevtive Plan/ Project Target		Achievenent		Remaining Plan for 2004-04 against approved perspective		Addtionality		Plan for remaining Project period		Revised perspective	
		Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
C3	BRC												
1-	Civil Work		6400		5600		800						5600
2-	Salary of Coordinator		4272		9313.6		-5041.6		5041.6		4608		13921.6
3-	Equipment & Furniture	8	1200		1200								1200
4-	TA.		150		221.417		-71.417		71.417				221.417
5	Contingency		108				108						
6	Consumable		180		128		52						128
7-	Maintenance of Equip.		18				18						
8-	Wages of Choukidar										360		360
9-	Books		240		40		200						40
10-	BRC Exbioition fair (teaching aids etc.		160		86.233		73.767						86.233
11-	Purchase of vehicle (Two Wheeler)												
12-	POL/Maintenance												
13-	Consumable												
	Total		12728		16589.25		-3861.25		5113.017		4968		21557.25
C4	DPO												
1	Equipment		200		184.843		15.157						184.843
2	Furniture		120		92.5		27.85						92.15
3	Books												
4-	Purchase of vehicle		350				350						
5-	Consultancy Charges		1214.2		10		1204.2						10
6-	Salary of Staff		6900		6264.199		633.801				1900		8164.199
7-	Consumable		200		77.39		122.61						77.39
8-	Telephone & Fax		200		64.243		135.757				35		99.243
9-	Vehicle Maintenance & POL		750		267.478		482.522				80		347.978
10-	Maintinance of Equip.		80		31.9		48						31.9004
11-	TA		180		429.433		-249.433		249.433		175		604.433
12-	Seminar & Workshop		160		61.661		98.339						61.661
13-	Hiring of Vehicles		50		51.4		-1.4		1.4				51.4
14-	Civil Work Supervisory Consult.												
15-	District level Exhibition & Fair		100		10		90						10
16-	Exposure visit/stujdy tours		160		20		140						20
17-	Rent		120				120						
18-	Distt. Level Conversion workshop/Meetings		75		20		140						20
19-	AWPB & View workshop		75		31.465		43.555						31.465
20	Moter cycle/ Scooter		390		100		290						100
21-	Research evaluation		140				140						
22-	Contingency		100		207.988		-107.988		107.988				207.988
23-	Innovative Fund		200				200						
24-	Evoluation										30		30
	Total		**11814.2**		**7939.15**		**3880.05**		**358.821**		**2220**		**10154.15**

Sl. No.	Activity Heads	Approved Perspective Plan/ Project Target		Achievenent		Remaining Plan for 2004-04 against approved perspective		Addtionality		Plan for remaining Project period		Revised perspective	
		Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	C5 MIS Research & Evaluation												
	C5. MIS/Research & Evaluation												
1-	MIS cell Furnishing		180		136.287		43.713						136.287
2-	EMIS/PMIS Printing & Servey		100		63.25		36.75				50		113.25
3-	MIS Equipment		250		13.662		236.338						13.662
4-	Computer System Training		50		25		25						25
5-	Maint. of Equipment		120		24		96						24
6-	Exposer visits						133.41						
7-	Consumable		150		16.59						20		36.59
8-	Sample study/field visit												
	Total		**850**		**278.789**		**571.211**				**70**		**348.789**
	C6. School Complex/(NPRC)												
1-	Construction	64	1792		1792		1792						1792
2-	Salary of Co-ordinator 64*12*12	64	14652		24680		-10028		10028		13824		38504
3-	Equipments & Furniture		960		960								960
4-	Books for Libarry		64		320		320						320
5-	A/V Hiring Charge		177.6		102.4		75.2						102.4
6-	Contengency				224		-224		224				224
7-	Monthly Meeting		144		768		-324		324				768
8-	Mela/ Workshops				64		-64		64				64
	Total		18665.6		28910.4		-10244.8		10640		13824		42734.4
C7	**Distant Education**												
1	Equipment and Other		75				75						
2	Telephone/Fax Bill		25				25						
3	Confrancing/TA/DA										30		30
4-	Video Recording & Packing		800		15		785						15
5-	Printing materials		60		21.5		38.5				50		71.5
6-	Training workshop Seminar				10		-10		10		40		50
7-	Mentinence		8				8						
	Total		**968**		**46.5**		**921.5**		**10**		**120**		**166.5**

Sl. No.	Activity Heads	Approved Perspevtive Plan/ Project Target		Achievenent		Remaining Plan for 2004- 04 against approved perspective		Addtionality		Plan for remaining Project period		Revised perspective	
		Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	C8. Integratted Education												
1-	Distt. Level workshop		100		56.397		43.603				40		96.397
2-	Block level resource support		1296		10		1286				80		90
3-	Servey through VEC		40				40						
4-	Training of BRG & DRG		56				56						
5-	Orientation of Teachers		315		50		265						50
Total			**1807**		**116.397**		**1690.603**				**120**		**236.397**
Sub Total (C1 to C8)			**48180.8**		**55495.827**		**-7316.027**		**16857.809**		**21752**		**77247.827**
Grand Total (A,R,Q & C)			**126419.5**		**122461.28**		**3958.261**		**36552.103**		**46823.55**		**169284.829**